

(प्रपत्र-13(b))

Justification of Land

इस सड़क मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेंगे। इस सड़क मार्ग से लगभग 1086 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेंगे एवं इससे देश की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इस सड़क के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होंगे जिससे स्थानीय निवासियों एवं सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एवं सड़क न होने से बच्चें स्कूल न जाकर खेती-बाड़ी के कामों में लग जाते हैं। लेकिन सड़क मार्ग बनने स्थानीय बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेंगे। जिससे देश में निर्माण में भागीदारी निश्चित कर सकें एवं शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। इस सड़क मार्ग के बनने से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। सड़क मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणी भी अपने घर का आवश्यक सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इस सड़क मार्ग के निर्माण से वन विभाग अकसर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेंगे एवं यह मार्ग एक फायर लाइन का काम भी करेगी। सड़क मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख-रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम भलेर एवं मदर्सू जिनकी जनसंख्या को जोड़ा जा सकेगा तथा इस सड़क मार्ग से पिछड़े गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। अतः इस सड़क के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
लांघा रेंज

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहस्रपुर उप-वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी वन प्रभाग,
कालसी।